

वेतन व अन्य भत्तों पर आयकर की गणना व छूटें

वित्तीय वर्ष 2024-2025 (कर निर्धारण वर्ष 2025-2026)

कर निर्धारण वर्ष (Assessment year): इसका तात्पर्य उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से आरम्भ होती है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। उदाहरण-आगामी कर निर्धारण वर्ष 2025-26 जो 1 अप्रैल 2025 से प्रारम्भ होगा तथा दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होगा। करदाता की वर्ष 2024-25 की आय पर आगामी कर निर्धारण वर्ष 2025-26 में वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कर लगाया जाता है।

वित्तीय वर्ष (Financial year) : जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उस वर्ष को वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख प्रावधान

(1) कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (employees Provident fund) में अप्रैल 2021 से राशि रु. 2.50 लाख से अधिक अर्जित ब्याज की राशि कर योग्य होगी।

(2) यदि किसी करदाता द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की जाती है तो स्रोत पर कटौती की दर 5% अथवा देय दर का दो गुणा दर से TDS की कटौती की जायेगी।

(3) 75 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक जिनकी ब्याज की आय है तथा जिस बैंक से ब्याज की आय है तथा उसने TDS की कटौती कर ली है तो उनको आयकर रिटर्न भरने से मुक्त कर दिया है।

आयकर गणना की दरें : आयकर गणना हेतु दो विकल्प हैं। किसी एक विकल्प (जो सुविधाजनक हो) से आयकर की गणना की जायेगी।

विकल्प-1(आयकर की गणना) विद्यमान दर

विकल्प-1 (i) कोई व्यक्ति, HUF, AOP, BOI, सहकारी संस्थाओं को छोड़कर (individuals, HUF, AOP/BOI, other than co-operative societies)

आय सीमा	कर प्रतिशत
रु. 2,50,000 तक	शून्य
रु. 2,50,001 से 5,00,000	5 प्रतिशत
रु. 5,00,001 से 10,00,000	20 प्रतिशत
रु. 10,00,001 से ऊपर	30 प्रतिशत

(ii) वरिष्ठ नागरिक, निवासी महिला/पुरुष, जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो किन्तु 80 वर्ष से कम हो।

आय सीमा	कर प्रतिशत
रु. 3,00,000 तक	शून्य
रु. 3,00,001 से 5,00,000	5 प्रतिशत
रु. 5,00,001 से 10,00,000	20 प्रतिशत
रु. 10,00,001 से ऊपर	30 प्रतिशत

(iii) Super senior citizen वरिष्ठ नागरिक पुरुष अथवा महिला जिसकी आयु 80 वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

आय सीमा	कर प्रतिशत
रु. 5,00,000 तक	शून्य
रु. 5,00,001 से 10,00,000	20 प्रतिशत
रु. 10,00,001 से ऊपर	30 प्रतिशत

आयकर की नई दरें

नई कर व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिये आयकर की दरें

3 लाख तक	शून्य
3 लाख से 7 लाख तक	5%
7 लाख से 10 लाख तक	10%
10 लाख से 12 लाख तक	15%
12 लाख से 15 लाख तक	20%
15 लाख से अधिक	30%

वरिष्ठ नागरिकों एवं अति वरिष्ठ नागरिकों पर भी बिना किसी अतिरिक्त छूट के समान रूप से लागू होगी।

नई योजना में अनुज्ञेय कटौती

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 से नई कर व्यवस्था में मानक कटौती धारा 16(i) के तहत 75,000 रु. मिलेगी। पारिवारिक पेंशनर को भी धारा 57(ia) तक मानक कटौती 25000/- मिलेगी।

(2) अग्निवीर कॉरपस फण्ड

(3) नवीन पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान

नोट : वित्तीय वर्ष 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) से 25000 रुपए की कर छूट या देयकर की वास्तविक राशि जो भी कम हो, की अनुमति दी जाती है ऐसे निवासी व्यक्तियों को जिन्होंने धारा 115 BAC (1A) के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना हो और जिनकी वार्षिक कुल कर योग्य आय 7 लाख रुपए तक है। नई कर व्यवस्था में मार्जिनल रिलिफ की

अनुमति है। (धारा 87A)

व्यक्तिगत करदाता जिसकी व्यवसाय/पेशे से आय नहीं है वे फार्म 101E में विकल्प देकर पुरानी योजना का विकल्प चुन सकते हैं और धारा 139(1) के तहत नियत तारीख को या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। वह इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले विकल्प बदल सकता है।

विकल्प-1 अथवा विकल्प-2 के पश्चात् आयकर पर निम्न प्रकार उपकर देय होगा

विद्यमान दरों एवं नवीन वैकल्पिक दरों पर आयकर की कटौती का तुलनात्मक विवरण

विद्यमान दरों पर आयकर की गणना			नवीन दरों पर आयकर की गणना		
वार्षिक आय			वार्षिक आय		
15,50,000			15,50,000		
अनुज्ञेय कटौती			मानक कटौती		
(1) मानक कटौती	(-)	75,000	75,000		
मकान ऋण पर ब्याज	(-)	50,000			
शेष		14,25,000			
(2) 80 (C) के अन्तर्गत अनुज्ञेय कटौती	(-)	1,50,000			
शेष		12,75,000			
(3) अन्य कटौतियां					
मेडीक्लेम	(-)	50,000			
दान	(-)	10,000			
कर योग्य आय		12,15,000	वार्षिक कर योग्य आय		
12,15,000			14,75,000		
आयकर की गणना			आयकर की गणना		
कर योग्य आय			कर योग्य आय		
12,15,000			15,00,000		
आय 2.50 तक	दर	आयकर	आय	दर	आयकर
2.50 लाख से 5 लाख तक	5%	12500	3.00 से 7.00 लाख तक	5%	20,000
5 लाख से 10 लाख तक	20%	1,00,000	7 लाख से 10.00 लाख तक	10%	30,000
10 लाख से अधिक (2.15 लाख पर)	30%	64,500	10 लाख से 12 लाख तक	15%	30,000
			12 लाख से 15 लाख तक	20%	55,000
आयकर		1,77,000	शेष (2.75 लाख पर)	30%	1,35,000
शिक्षा उपकर 4%		7080			5400
कुल आयकर		1,84,080			1,40,400
एक व्यक्ति करदाता के लिए वेतन के घटक तथा आयकर की दृष्टि में इनकी गणना			(11) 1.1.04 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन के 10 प्रतिशत का पेंशन अंशदान, AIS हेतु 14 प्रतिशत पेंशन अंशदान।		
(1) वेतन— विशेष वेतन, महंगाई वेतन, बकाया वेतन, अग्रिम वेतन, पेंशन (2) फीस तथा कमीशन (3) बोनस (4) अन्तरिम राहत, (5) नोटिस वेतन (6) मानदेय (7) पारिश्रमिक (8) पेन्शन (9) निर्वाह भत्ता (10) द्यूशन फीस का पुनर्भरण			(A) कर योग्य भत्ते— (1) महंगाई भत्ता (2) मकान किराया भत्ता (3) शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (4) प्रतिनियुक्ति भत्ता (5) निश्चित चिकित्सा भत्ता (6) प्रेक्टिस न करने का भत्ता		

(7) अतिरिक्त समय कार्य भत्ता (8) टिफिन भत्ता (9) नौकर भत्ता (10) वार्डन प्रोक्टर भत्ता (11) ग्रामीण भत्ता (12) परियोजना भत्ता (13) परिवार भत्ता (14) विवाह भत्ता (15) जीवन निर्वाह भत्ता (16) पर्वतीय भत्ता (17) सत्कार भत्ता (18) विशेष भत्ता (19) अन्तरिम राहत (20) ओवर टाइम (21) अधिसूचित भविष्य निधि से सेवक द्वारा वेतन के 12 % से अधिक अंशदान और 9.5 % से अधिक ब्याज (22) सेक्शन 80 CCD के अन्तर्गत अधिसूचित पेन्शन योजना में केन्द्रित शासकीय सेवक का पूर्व वर्ष का अंशदान (23) सवारी भत्ता

(B) कर मुक्त राशि एवं भत्ते— (1) यात्रा भत्ता (2) दैनिक भत्ता (3) सवारी भत्ता (4) सहायक भत्ता (5) विद्यापार्जन भत्ता (6) वर्दी भत्ता (7) रिटायरमेंट पर उपार्जित छुट्टी का नगदीकरण (300 दिवस तक) (8) ग्रेच्युटी (25.00 लाख की सीमा तक) (9) पेंशन का रुपान्तरण

(C) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (V.R.S.)— इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने/सेवा समाप्ति पर प्राप्त राशि/प्राप्त करने योग्य राशि/किशतों में प्राप्त राशि/किशतों में प्राप्त योग्य राशि धारा 10 (10C) के अनुसार अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आय पर आयकर राहत प्राप्त कर सकता है लेकिन 10(10 C) में लाभ प्राप्त करने के पश्चात धारा 89(i) के तहत आयकर राहत नहीं मिलेगी (धारा 17v)

वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) कार्यालय के कर्तव्य पालन के लिये किये गये खर्च की सीमा तक वाहन भत्ता कर मुक्त है। (धारा 10(14))

वेतन एवं पेंशन से अनुज्ञेय छूट जिनको सकल वेतन से कम किया जाएगा

1. मकान किराया भत्ता— कर्मचारी द्वारा उसके आवास के संबंध में प्राप्त मकान किराया भत्ता निम्न में से सबसे कम राशि तक करमुक्त होगा:

- वास्तव में प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता, या
- वेतन के 1/10 भाग से अधिक किराये का भुगतान, या
- निम्न के बराबर राशि—

(i) जब आवास मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में हो तो संबंधित अवधि के लिए करदाताको देय वेतन का आधा भाग, और

(ii) जब आवास किसी अन्य स्थान पर स्थित हो तो संबंधित अवधि के लिए करदाता को देय वेतन का 2/5 भाग [नियम 2A]

इस उद्देश्य के लिये, वेतन में महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। यदि नौकरी की शर्तों में ऐसा प्रावधान हो (जैसे प्रोविडेंट फंड

और भत्तों आदि की गणना करते समय इसे शामिल करना) परन्तु अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ (perquisites) शामिल नहीं होंगे।

करदाता द्वारा प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता कर से मुक्त नहीं होगा, अगर (a) करदाता आवासीय मकान का स्वामी हो, या (b) करदाता जिस मकान में रह रहा है, उसके लिए किराये (या चाहे जिस नाम से जाना जाए) के भुगतान पर वास्तव में कुछ खर्च न किया हो।

करमुक्त HRA की राशि कर्मचारी के वेतन, HRA की राशि, भुगतान किया गया किराया और वह स्थान जहां आवास किराये पर लिया गया है, पर निर्भर करती है। यदि सभी घटक पूरे वर्ष एक समान हों तो करमुक्त राशि वार्षिक आधार पर गणित की जा सकती है। अन्यथा, यदि किसी घटक में कोई बदलाव हो, तो करमुक्त राशि को मासिक आधार पर गणित किया जाना चाहिये।

उदाहरण : जयपुर में रह रहे Mr. X द्वारा दिये गये निम्न वितरण से, करयोग्य HRA की राशि निर्धारित करें।

(a) मूल वेतन (प्रति वर्ष) 3,00,000 रुपए

(b) मकान किराया भत्ता (प्रति वर्ष) 54,000 रुपए

(c) जयपुर में मकान के लिए किराये का भुगतान

75,000 रुपए

निम्न में से न्यूनतम कर मुक्त HRA की राशि होगी:

(i) वास्तविक HRA 54,000 रुपए

(ii) किराये का भुगतान-वेतन का 10% [अर्थात 75,000 रुपए-30,000 रुपए] 45000 रुपए

(iii) वेतन का 40 प्रतिशत (चूंकि मकान जयपुर में है) 1,20,000 रुपए

अतः कर मुक्त HRA 45,000 रुपए होगा तथा HRA की कर योग्य राशि [54,000 रुपए-45000 रुपए =] 9000/- रुपए होगी। **90A**

नोट : 3000 रुपए तक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारी मकान किराया भुगतान रसीद प्रस्तुत करने से मुक्त रहेंगे।

2. मकान निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट (धारा 24)

ऋण की अवधि	छूट की सीमा
1.4.99 तक	30,000
1.4.99 से 31.3.2019	1,50,000
1.4.19 से	2,00,000

मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण हेतु लिए गये ऋण पर अधिकतम राशि रु. 30,000/- के ब्याज की छूट देय होगी।

(3) विनिर्दिष्ट रोगों के उपचार बाबत कटौती (Deduction in respect of medical treatment on specified diseases) Section 80 DDB—जैसा आयकर बोर्ड द्वारा किसी विनिर्दिष्ट बीमारी को घोषित किया जाए।

- (1) जहाँ रोगी (निर्धारित या आश्रित रिश्तेदार हो) वरिष्ठ नागरिक रु. 1,00,000 : या वास्तविक व्यय, हो कम हो किन्तु यदि चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे रोग के उपचार हेतु कोई राशि मिली है तो वह राशि या जो नियोजक ने प्रतिपूर्ति की हो, कम की जायेगी। वर्ष 2018-19 से वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष की ऊपर की आयु होने पर भी छूट 1,00,000 रुपए देय होगी।
- (2) दूसरे मामलों में रु. 40,000 या वास्तविक व्यय, जो कम हो किन्तु यदि ऐसे रोग के उपचार हेतु चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कोई राशि मिली है या वह राशि जिसे नियोजक ने प्रतिपूर्ति की हो वह कम की जायेगी।

नियम 11 DD के अन्तर्गत— (1) Neurological Diseases, being Dementia, Dystonia Musculorum Deformans, Motor Neuron Disease, Ataxia, Chorea, Hemiballismus, Aphasia and Parkinsons Diseases; (2) Cancer, (3) AIDS, (4) Chronic Renal Failure, (5) Hemophilia, (6) Thalassemia बीमारियाँ घोषित की गई हैं।

(4) उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान पर छूट (Repayment of loans for higher education)- Section 80E—

वित्त अधिनियम 2007 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि करदाता व्यक्ति (Individual) ने अपनी या अपने रिश्तेदार (अर्थात् पति, पत्नी और बच्चों) की उच्चतर शिक्षा के लिये किसी वित्तीय संस्थान या किसी अनुमोदित पुनर्गठन संस्थान से ऋण लिया है तो उस ऋण पर देय सम्पूर्ण ब्याज की छूट देय है। वित्त अधिनियम, 2009 के अनुसार उच्च शिक्षा का अर्थ है बारहवीं या इसके बराबर की कोई कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिये कर्ज लेने पर ब्याज की छूट मिलेगी।

यह ऋण किसी वित्तीय संस्था (Financial Institution) अथवा किसी अनुमोदित पूर्ति संस्था (approved charitable institution) से ही लिया गया हो,

उच्च शिक्षा का तात्पर्य Full time studies for any graduate or post-graduate course in Engineering, Medicine, Management, or for post-graduate course in Applied Science or Pure Science including Mathematics and Statistics से है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि graduate or post-graduate in Engineering would include

studies in Architecture.

कटौती की मात्रा- करदाता द्वारा Previous year में अपनी कर योग्य आय में से ऐसे किसी भी ऋण पर ब्याज के भुगतान की राशि, बिना किसी सीमा के।

करदाता जिस वर्ष से ऐसे ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रारंभ करेगा उस वर्ष से अधिकतम 8 वर्षों तक या जब तक ब्याज पूरा वापस न कर दे, जो भी पहले हो, तब तक यह कटौती मिलेगी।

(5) (i) दान जिसकी 100 प्रतिशत कटौती की जाएगी। कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्था, इत्यादि को दान बाबत कटौती (Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc.) —Section 80G

(क) निम्न को किए गए दान का 100% घटाना अनुज्ञेय—

(1) The National Defence Fund set up by the Central Govt., (2) The Prime Minister's National Relief Fund; (3) The Prime Minister Armenia Earthquake Relief Fund; (4) The Africa (Public Contributions-India) Fund; (5) The National Foundation for Communal Harmony; (6) A University or any educational institution of national eminence as may be approved by the prescribed authority; (7) The Maharashtra Chief Minister's Relief Fund; (8) Any fund set up by the State Govt. of Gujarat exclusively for providing relief to victims of earthquake in Gujarat; (9) Any Zila Saksharta Samiti constituted in any district under the Chairmanship of Collector of that district for the purposes of improvement of primary education in villages and towns and for literacy and post literacy activities; (10) the National Blood Transfusion Council or to any State Blood Transfusion Council; (11) any fund set up by a State Govt. to provide medical relief to the poor; (12) the Army Central Welfare Fund or the Indian Naval Benevolent Fund or the Air Force Central Welfare Fund; (13) the Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund, 1996; (14) the National illness Assistance Fund; (15) the Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's Relief Fund for any State or Union Territory; (16) the National Sport Fund; (17) the National Cultural Fund; (18) the Fund for Technology Development and Applications; (19) the National Trust for welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities; (20) the Govt. or any approved local authority, institution of association for promoting family planning; and (21) Indian Olympic Association or any other association/institution notified under Section 10(23), for development of infrastructure or sponsorship of sports and games in In-

dia (donations by a company). (22) The National children's Fund. (23) Swachh Bharat Kosh, (24) Clean Ganga Fund, (25) National Fund for control of Drug Abuse

(ii) अन्य संस्थाओं को (जो 80G में पंजीकृत हैं) दिये गये दान की 50% की सीमा में छूट देय होगी। यह कटौती DDO द्वारा नहीं दी जायेगी। पहले Tax कटवाना पड़ेगा तथा रिटर्न भर के रिफण्ड लेना होगा।

(iii) अनुमोदित सामाजिक-विज्ञान/सांख्यिकीय अनुसंधान, ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वृक्षारोपण अथवा पात्र परियोजना अथवा स्कीम को दिया गया दान (Donation for approved organisations of scientific, Social Scienc/ Statistical research, rural development, conservation of natural resource, afforestation or eligible project or scheme) Section 80GGA— दान की सम्पूर्ण राशि।

(6) शारीरिक विकलांगता के मामले में कटौती (Decuction in case of person with disability) Section 80 U—यदि कोई वैयक्तिक निर्धारिती (individual assessee) विकलांग हो और आयकर रिटर्न के साथ चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करता है तो—

- साधारण विकलांगता के मामले में रुपये 75,000 तथा
- गंभीर विकलांगता जो 80% से अधिक हो के मामले में रुपये 1,25,000 की कटौती अनुज्ञेय।
- विकलांगता के अर्थ के लिए सेक्शन 80DD देखें।

शर्तें— कर दाता चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित फार्म में प्रमाणपत्र लेकर अपनी आय के रिटर्न के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि विकलांगता की स्थिति को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता हो तो मूल प्रमाणपत्र में उल्लेखित अवधि की समाप्ति पर नया प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

(7) विद्युत वाहन के लिये किए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती [धारा 80EEB]

कैसे मिलेगी: एक व्यक्ति (Individual) करदाता को, जिसने एक विद्युत वाहन खरीदने के उद्देश्य के लिये, किसी बैंक/deposit ले रही NBFC/systemically महत्वपूर्ण deposit नहीं ले रही NBFC से ऋण लिया हो।

नोट : विद्युत वाहन से पर्याप्त है एक वाहन जो केवल traction बैटरी पर ही चलता हो और जिसमें electric regenerative braking system लगा हो।

कटौती की राशि : ऐसे ऋण पर (previous year के दौरान देय ब्याज की राशि अधिकतम 1,50,000 रुपए।

शर्तें : (1) ऋण 1.4.2019 से 31.3.2023 के बीच अनुमोदित किया गया हो।

(2) जिस ब्याज के लिए इस धारा के तहत कटौती ली जा चुकी हो, वह किसी अन्य प्रावधान में उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में कटौती योग्य नहीं होगा।

(8) बचत खाते से प्राप्त ब्याज की 10000 रुपए का सीमा तक छूट : व्यक्ति करदाता या संयुक्त हिन्दु परिवार को कर निर्धारण वर्ष 2013-14 बैंक, कॉ-आपरेटिव बैंक व पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से प्राप्त होने वाले ब्याज की छूट 10000/- रुपए तक मिलेगी व sec. 10(15)(i) के अन्तर्गत पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के ब्याज की छूट 3500 रुपए (Single Account) व 7000 रु. (Joint Account) की मिलेगी। (धारा 80TTA)

(9) वरिष्ठ नागरिक को बचत खाते एवं स्थायी जमा खाते से प्राप्त ब्याज पर 50000 रुपए की सीमा तक छूट— कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से वरिष्ठ नागरिक को बैंक/कॉ-आपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस से बचत खाते, स्थाई जमा खाते से प्राप्त ब्याज पर 50000 रुपए की छूट मिलेगी परन्तु वरिष्ठ नागरिक को अब धारा 80 TTA के तहत कटौती नहीं मिलेगी। (धारा 80TTB)

स्थावर सम्पत्ति के क्रय के समय स्रोत पर कर की कटौती : 1 जून 2013 से स्थावर सम्पत्ति का क्रेता प्रतिफल के भुगतान (नकद, बैंक, ड्राफ्ट, पुस्तकीय हस्तान्तरण) के समय प्रतिफल राशि का 1% स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्तकर्ता यदि भुगतान करने वाले (क्रेता) को PAN नम्बर उपलब्ध नहीं कराने की दशा में स्रोत पर 20% कर की कटौती की जायेगी। यह प्रावधान रुपए 50 लाख से कम राशि की स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तरण एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर लागू नहीं होगा। इस हेतु TAN के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। (धारा 1941 A)

(10) बकाया वेतन/अग्रिम पर कर राहत की गणना—

(1) जिस वर्ष में बकाया या अग्रिम वेतन प्राप्त हुआ है उस वर्ष में इसे सम्मिलित कर कुल आय के योग पर सर्वप्रथम गणना करें।

(2) बकाया/अग्रिम वेतन (अतिरिक्त वेतन) को घटाकर तथा वर्ष की कुल आय पर कर की गणना करें।

(3) उपरोक्त (1) में से (2) को घटायें, यह बकाया/अग्रिम (अतिरिक्त वेतन) पर कर की राशि होगी।

(4) ऐसे प्रत्येक गत वर्षों में अतिरिक्त वेतन को जोड़ते हुए कुल आय पर कर की गणना करें।

(5) बिना अतिरिक्त वेतन को जोड़े हुए पिछले प्रत्येक वर्षों की कुल आय पर कर की गणना करें।

(6) उपरोक्त (4) में से (5) को घटाइये, यह अन्तर अतिरिक्त वेतन पर कर का योग होगा।

(7) उपरोक्त (3) और (6) का अन्तर धारा 89(1) के अन्तर्गत कर राहत है- धारा 21 ए (2)

(11) स्रोत पर आयकर की कटौती (Tax Deduction of Source)

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी कर योग्य आय का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी किसी व्यक्ति के लिये देय राशि पर टीडीएस देना आवश्यक है।

डाकघर आवर्ती/समय निक्षेप, डाकघर मासिक आय खाता, किसान विकास पत्र, इन्दिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र viii वाँ निर्गम योजना से प्राप्त ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जावेगा। परन्तु 8%(6 वर्षीय) बचत बॉण्ड से प्राप्त ब्याज पर

टीडीएस काटा जायेगा।

(12) स्थावर सम्पत्ति के क्रय के समय स्रोत पर कर की कटौती : 1 जनू 2013 से स्थावर सम्पत्ति का क्रेता प्रतिफल के भुगतान (नकद, चेक, ड्राफ्ट, पुस्तकीय हस्तान्तरण) के समय प्रतिफल राशि का 1% स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्तकर्ता यदि भुगतान करने वाले (क्रेता) को PAN नम्बर उपलब्ध नहीं करने की दशा में स्रोत पर 20% कर की कटौती की जायेगी। यह प्रावधान रु. 50 लाख से कम राशि की स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तरण एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर लागू नहीं होगा। इस हेतु TAN के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। (धारा 194 IA)

स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें

फार्म का विवरण	कटौती की धारा	कटौती की दर	उपकर	विशेष विवरण एक समय में
(1) (i) ठेकेदारों को भुगतान एक व्यक्ति करदाता, HUF	194 (C)	1 %	-	एक समय में 30,000 तथा वार्षिक-1.00 लाख रु. तक की संविदा के प्रतिफल पर टीडीएस की कटौती नहीं होगी
(ii) पार्टनरशिप फर्म		2%	-	
(2) ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर) वरिष्ठ नागरिकों हेतु	194 (ए)	10 %	-	ब्याज की राशि 10000 से अधिक होने पर ही कटौती होगी।
(3) किराये के भुगतान से एक व्यक्ति करदाता प्लांट एवं मशीनरी के किराये पर	194 (i)	10 %	-	ब्याज की राशि 50000 से अधिक होने पर ही कटौती होगी।
(4) पेशा सम्बन्धी तकनीकी सेवा		2%	-	2,40,000 वार्षिक किराये से अधिक होने पर
(5) कॉल सेन्टर चलाने के व्यापार पर	194 (j)	10 %	-	30,000 के ऊपर की राशि पर
(6) लॉटरी इत्यादि की आय पर	194 (B)	20 %	-	-
(7) दलाली एवं कमीशन	194 (B)	30 %	-	10000 से अधिक की आय पर
	194 (H)	2 %	-	15000 से अधिक राशि होने पर (1.6.16 से)

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के परिणाम : यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार है तथा कर की कटौती नहीं करता है अथवा कटौती करने के पश्चात कर भुगतान करने में असफल रहता है तो जिस तारीख से कर की कटौती की जानी थी उस तारीख तक जिस दिन वास्तव में भुगतान किया गया है कर की राशि पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देना होगा। जुर्माना भी वसूल किया जा सकेगा। धारा 201 (1A)

कर का अग्रिम भुगतान - प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करना उस स्थिति में अनिवार्य है, यदि देय अग्रिम कर की राशि 5000 रुपए अथवा इससे अधिक हो। आय की सभी मदों में अग्रिम कर का भुगतान अनिवार्य है।

अग्रिम कर की गणना

किश्त की देय तिथि	देय अग्रिम कर
गत वर्ष की 15 जून तक	15 प्रतिशत
गत वर्ष की 15 सितम्बर तक	45 प्रतिशत
गत वर्ष की 15 दिसम्बर तक	75 प्रतिशत
चालू वर्ष की 15 मार्च तक	100 प्रतिशत

अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

स्रोत पर आयकर कटौती की विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से त्रैमासिक भेजी जावेगी- स्रोत पर आयकर कटौती (TDS Returns) की त्रैमासिक विवरणी (Quarterly Returns) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्मांकित तिथियों को प्रेषित की जायेगी।

फार्म सं. विवरणी	दिनांक
	27(A) 24 Q, 26 Q
24 Q संवेतन शीर्षक से 24 Q व 26 Q अन्य स्रोत पर आयकर कटौती की त्रैमासिक विवरणी	अंतिम तिथि
अप्रैल 2024 से जून 24 तक	31 जुलाई 2024
जुलाई 2024 से सितम्बर 24 तक	31 अक्टू. 2024
अक्टू. 2024 से दिसम्बर 24 तक	31 जनवरी 2025
जनवरी 2025 से मार्च 25 तक	31 मई 2025

फार्म सं. 24 Q एवं 26 Q के समर्थन के लिए फार्म सं. 27 A (Physical Control Chart) निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त वर्णित तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक आयकर विवरणी के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

e-TDS की त्रैमासिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र (Prescribed Data Structure) में तैयार कर सीडी रोम में स्टोर कर नेशनल सिक्क्यूरीटिज डिपॉजिटरी लि. (NSDL) द्वारा निर्धारित केन्द्र पर जमा की जावेगी।

आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2024-2025 (कर निर्धारण वर्ष 2025-2026)

1. नाम कर्मचारी..... पद.....
2. आय : वर्ष- 2024-2025 में प्राप्त कुल वेतन रु.
3. गृह किराया, धारा 10(13-(A))के अन्तर्गत एवं धारा 10 (14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है। रु.
4. शेष (2-3) रु.
5. (i) मनोरंजन भत्ता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत रु.....
- (ii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत रु.
- (iii) स्टैण्डर्ड डिडेक्शन (standard deduction) 75,000 (अधिकतम) योग 5 (i + ii(iii)) रु.....
6. शेष (4-5)

7. (अ) गृह सम्पत्ति से आय : (i) स्वयं के उपयोग में-शून्य	(ii) प्राप्त किराया.....
(ब) घटाये :	किराये का 30%
रु.....	गृह ऋण पर ब्याज रु.....
	गृहकर रु.....
	योग रु.....

शेष- / + (7 (अ) एवं योग 7 (ब) का) रु.....

8. बचत खाते पर ब्याज कुल शेष- / + (6 एवं 7) रु.....
9. अन्य आय रु.....
10. सकल आय शेष (8+9) रु.....
11. घटाइये कटौतियाँ :- (US 80C, 80CCC, 80CCD)

(1) पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80 CCC)	(2) पेंशन योजना में अंशदान (धारा 80 CCD(1))
.....	10% (वेतन + GP + DA.....)
(3) राज्य बीमा	(4) जीवन बीमा प्रीमियम
.....	
(5) राष्ट्रीय बचत पत्र	(6) लोक भविष्य निधि
.....	
(7) सामान्य प्रावधानी निधि	(8) यू.एल. आई.पी./वार्षिकी प्लान
.....	
(9) पी.एल.आई.	(10) गृह ऋण किस्त
.....	
(11) ट्यूशन फीस	(12) स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuity.....)
.....	
(13) इक्विटी लिंक सेंविंग स्कीम	(14) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज
.....	
(15) अन्य	

योग.... (11) (1 से 15 तक) अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक होगी.....

धारा 80CCE/80CCCD - नियोजता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) या 14% पृथक से छूट

धारा 80CCD (IB) - नई पेंशन स्कीम में अंशदान 50,000/- की छूट

अन्य कटौतियाँ

12. चिकित्सा बीमा प्रीमियम 80 (D) (के अनुसार 25000) वरिष्ठ नागरिकों को 50,000
13. आश्रित विकलांग के अनुरक्षण/चिकित्सा उपचार 80 DD (अधिकतम 75,000 तथा 80% विकलांगता पर 1,25,000/-)
14. विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (80DDB) (अधिकतम 40,000 सीनियर सिटीजन हेतु 1,00,000)
15. उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज की राशि (80 E.....)
16. दान (80 G) (धारा 80 G में 'क' श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं 'ख' श्रेणी में 50 प्रतिशत)
17. अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिय गया दान (80 GGA.....)
18. शारीरिक विकलांगता (80 U) अधिनियम 75,000 तथा 80 प्रतिशत विकलांगता पर 125000
19. 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज 10,000 धारा 194 (IA.....)
- 19 (i) 80 TTB वरिष्ठ नागरिकों को सभी ब्याज (बचत खाता+फिक्स डिपोजिट) पर छूट 50,000 धारा 194 A
20. कुल कटौती (11 से 19 का योग)
21. कर योग्य आय (10-20)
22. आयकर की दर :

पुरानी स्कीम		नवीन स्कीम	
2,50,000 रु. तक	शून्य	3,00,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5%	3,00,001 से 7,00,000 तक	5%
5,00,001 से 10,00,000 तक	20%	7,00,001 से 10,00,000 तक	10%
10,00,001 एवं अधिक	30%	10,00,001 से 12,00,000 तक	15%
60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 3.00 लाख तथा 80 वर्ष से		12,00,001 से 15,00,000 तक	20%
ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 5.00 लाख तक आय पर कर में छूट		15,00,001 से अधिक	30%

- (1) कुल आयकर
- (2) छूट धारा 87 (A) पुरानी योजना में (5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट 12500/- तथा नवीन योजना में धारा 87(B) 7.00 लाख तक की आय पर कर की छूट)
- (3) शेष आयकर
- (4) शिक्षा व चिकित्सा उपकर 4% (आयकर पर)
- (5) कुल आयकर
23. स्रोत पर आयकर कटौती का विवरण

जनवरी 2025 तक	फरवरी 2025 तक	टी.डी.एस. (कुल)	योग
सितम्बर 2024 तक	दिसम्बर 2024 तक	रु.....	रु.....
रु.....	रु.....	रु.....	रु.....
आयकर देय/वापसी योग्य शेष- / +		रु.....	हस्ताक्षर